



न्यू जर्सी आर्थिक विकास प्राधिकरण
अटलांटिक सिटी रीवाइटलाइज़ेशन अनुदान कार्यक्रम (पाइलट)
फंडिंग उपलब्धता का नोटिस

न्यू जर्सी आर्थिक विकास प्राधिकरण ("NJEDA" अथवा "प्राधिकरण") पाइलट अटलांटिक सिटी रीवाइटलाइज़ेशन अनुदान कार्यक्रम ("कार्यक्रम") के लिए **जनवरी 31, 2024 को प्रातः 10:00 बजे EST** से आवेदन स्वीकार करना प्रारम्भ करेगा। आवेदन तब तक स्वीकार किए जब तक सम्पूर्ण फंड अवार्ड नहीं कर दिया जाता। आवेदन को [Atlantic City Revitalization Grant Program - NJEDA](#) पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। पाइलट कार्यक्रम के अंतर्गत उन पूंजीगत रियल एस्टेट विकास प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषित करने के लिए, पात्र-लाभकारी और गैर-लाभकारी संस्थाओं को रोलिंग आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान निधि में \$19.65 मिलियन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जो अटलांटिक सिटी को COVID-19 महामारी से पुनर्जीवित करना चाहती हैं।

आवेदन के समय \$1,000 आवेदन शुल्क आवश्यक है।

उद्देश्य तथा ओवरव्यू

जबकि न्यू जर्सी की अर्थव्यवस्था COVID-19 के कारण हुई क्षति से उबर रही है, आपदाग्रस्त शहरों में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को जंपस्टार्ट करने के लिए स्थान-आधारित आर्थिक विकास पहलों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत, लचीले और न्यायसंगत आर्थिक सुधार प्रयासों को बढ़ावा दे कर उत्प्रेरक निवेश आवश्यक बने रहते हैं। अटलांटिक सिटी अभी भी आर्थिक चुनौतियों, जिनमें शामिल हैं उच्च बेकारी दर, अच्छे खाद्य विकल्पों जैसी आवश्यक वस्तुओं तक सीमित पहुँच, ए श्रेणी के कार्यालय स्थानों की कमी और अन्य नगर पालिकाओं को उपलब्ध राज्य प्रोत्साहनों तक पहुँचने में असमर्थता।

गवर्नर मर्फी की आर्थिक योजना, "नवाचार का राज्य: न्यू जर्सी में मजबूत और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था का निर्माण करना," अनेक आर्थिक विकास प्राथमिकताओं की पहचान करती है, जिनमें शामिल हैं, "विश्व स्तरीय नगरों, शहरों और सम्पूर्ण राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए समुदायों में निवेश करना"। अटलांटिक सिटी रीवाइटलाइज़ेशन अनुदान कार्यक्रम प्रशासन की "समुदायों में निवेश" प्राथमिकता को संबोधित करेगा क्योंकि अनुदान निधि पूरे अटलांटिक सिटी में रियल एस्टेट विकास, विशेष रूप से कैपिटल प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करने में मदद करेगी। अटलांटिक सिटी तथा उसके पड़ोस में नए, प्रभावी, तथा नीतिगत निवेश कर प्रशासन इस कार्यक्रम के अधिक मजबूत और निष्पक्ष न्यू जर्सी के निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देता है।

यह कार्यक्रम सुनिश्चित करने पर फ़ोकस करेगा की समुदायों को सीधे सपोर्ट किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि यह प्रोजेक्ट COVID-19 के नकारात्मक प्रभावों को संबोधित करने में मदद करे तथा अटलांटिक सिटी के रीवाइटलाइज़ेशन में योगदान दे। कार्यक्रम को अटलांटिक सिटी में ऐसे रियल एस्टेट विकास प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्थानीय कार्यबल को आकर्षित करने और बनाए रखने, व्यवसाय निर्माण और पर्यटन को सक्षम करने, छोटे व्यवसाय समर्थन प्रयासों के माध्यम से शहर की जीवन शक्ति को बढ़ाने, स्वच्छ और सुरक्षित पहल को सपोर्ट करने, खाद्य असुरक्षा के मुद्दों को एड्रेस करता है, और व्यापक रूप से अटलांटिक सिटी समुदाय के लिए सामाजिक प्रभाव का समर्थन करता है। अनुदान फंडिंग अटलांटिक सिटी में समान आर्थिक विकास और सामुदायिक धन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए कम उपयोग की गई, संकटग्रस्त या खाली भूमि को सक्रिय करने के लिए काम करके समुदायों में निवेश में सुधार करेगी।

अटलांटिक सिटी जैसे संकटग्रस्त शहर के रीवाइटलाइज़ेशन का समर्थन करने और अटलांटिक सिटी के सभी समुदायों में नए, प्रभावशाली और रणनीतिक निवेश करके एक मजबूत और निष्पक्ष न्यू जर्सी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने हेतु कार्यक्रम की फंडिंग गवर्नर मर्फी के वित्तीय वर्ष 2024 अप्रोप्रिएशन एक्ट (P.L.2023, c. 74) (नीचे चर्चा की गई है) द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

फंडिंग

अमरीकन रेस्क्यू प्लान, कोरोनावायरस राज्य तथा स्थानीय वित्तीय रिकवरी फंड्स ("SLRF") के द्वारा उपलब्ध कराई गई फंडिंग का इस्तेमाल कर, अटलांटिक सिटी के रीवाइटलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 अप्रोप्रिएशन एक्ट (P.L. 2023, c. 74) में "अटलांटिक सिटी पहल" के लिए \$30 मिलियन का विनियोजन किया गया है। उक्त आवंटन में से, 19.65 मिलियन डॉलर "अटलांटिक सिटी रीवाइटलाइजेशन अनुदान कार्यक्रम" के आर्थिक रिकवरी फंड में जमा किए गए हैं, जिसका उपयोग उन योग्य प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर अटलांटिक सिटी के दीर्घकालीन विकास और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए अनुदान देने के लिए किया जाएगा जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताज़गी देते हैं और स्थानीय पड़ोस को पुनर्जीवित करते हैं।

कार्यक्रम विवरण

कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा कि समुदायों को सीधे सपोर्ट दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रोजेक्ट COVID-19 के नकारात्मक प्रभाव को संबोधित करे और अटलांटिक सिटी के पुनरोद्धार में योगदान दे। पुनर्वास या नए निर्माण को सपोर्ट करने के लिए विकास लागतों तथा साथ ही सम्बद्ध कार्यक्रम अनुदान के रूप में रियल एस्टेट विकास, विशेषकर **कैपिटल प्रोजेक्ट्स** ("प्रोजेक्ट") को सपोर्ट करता है, जिसमें किसी एक प्रोजेक्ट के लिए निम्नतम अनुदान फंडिंग अवार्ड 1 मिलियन डॉलर और अधिकतम 10 मिलियन डॉलर का होता है।

इन कैपिटल प्रोजेक्ट्स को अवश्य ही अटलांटिक सिटी के इलाकों और समुदायों को सीधे सपोर्ट करना चाहिए और इनमें निम्न में से कोई भी शामिल हो सकते हैं:

- सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार जो प्रोजेक्ट के पूरा होने को सपोर्ट करते हैं;
- कैपिटल निर्माण प्रोजेक्ट्स जो किसी खाली या आंशिक रूप से खाली (आवेदन के समय और स्वीकृति मिलने तक) इमारत के नवीकरण या पुनर्निर्माण कराते हैं; या
- नए निर्माण प्रोजेक्ट्स जिनका उद्देश्य शहर की जीवनतता, सार्वजनिक स्थान का उपयोग, पैदल ट्राफिक और अटलांटिक सिटी में सकल आर्थिक समृद्धि हो।

पात्रता

इस कार्यक्रम के लिए आवेदक ("आवेदक") लाभकारी या गैर-लाभ संस्थाएं हो सकती हैं जो किसी रियल एस्टेट विकास प्रोजेक्ट को ओवरसी करने और प्रोजेक्ट संबंधी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार हो जिसमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन, प्रोजेक्ट वित्तपोषण, तथा अनुमति देने वाले और स्थानीय स्वीकृतियाँ शामिल हैं, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं।

कार्यक्रम के लिए पात्र होने हेतु, आवेदक को अवश्य ही:

- स्वीकृति से पहले न्यू जर्सी के श्रम और कार्यबल विकास विभाग और न्यू जर्सी के पर्यावरण संरक्षण विभाग की दृष्टि में अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
- यह दिखाने के लिए आवेदक न्यू जर्सी डिवीज़न ऑफ़ टैक्सेशन की दृष्टि में अच्छी स्थिति में है उसे स्वीकृति से पहले ताज़ा टैक्स क्लियरेंस प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना चाहिए, बशर्ते आवेदक को डिवीज़न ऑफ़ टैक्सेशन के पास रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं हो।

आवेदन करने वाली आवेदन करने वाली संस्थाओं (प्रति EIN) के पास आवेदन के समय उनके द्वारा दायर किए गए अंतिम WR30 या पात्रता निर्धारित करने के लिए आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज के अनुसार 100 से अधिक पूर्णकालिक नौकरियां नहीं होनी चाहिए।

योग्य उपयोग

अनुदान फंडिंग का उपयोग अटलांटिक सिटी में स्थित केवल निम्न प्रकार के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाना चाहिए:

- अंततः वाणिज्यिक उपयोग के लिए नया निर्माण जो नीचे वर्णित "स्थानीय प्रभाव संबंधी विचारों" में सूचीबद्ध सामुदायिक आवश्यकता को संबोधित करता है (100% आवासीय पात्र नहीं होंगे मगर मिश्रित उपयोग निर्माण पात्र होगा; बिल्डिंग के कुल वर्ग फुटेज का कम से कम 20% वाणिज्यिक उपयोग के लिए समर्पित होना चाहिए।
- मरम्मत की आवश्यकता वाली खाली या आंशिक रूप से खाली बिल्डिंग का नवीनीकरण या पुनर्निर्माण (यदि प्रोजेक्ट में खाली जगह या आंशिक रूप से खाली जगह शामिल हो तब यह आवेदन के समय और स्वीकृति के समय तक होना चाहिए)।
- ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कम से कम एक ऐसे "स्थानीय प्रभाव विचार" को संबोधित करते हैं जिसकी पहचान नीचे की गई है और जो अटलांटिक सिटी के अंदर हों।
- प्रोजेक्ट्स में सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार शामिल हो सकते हैं जो प्रोजेक्ट को पूरा करने या या उसकी पूरकता के लिए आवश्यक हो।

यह कार्यक्रम निम्न के लिए उपलब्ध नहीं है:

- NJEDA के एक्टिवेशन रीवाइटेलाइज़ेशन ट्रांसफॉर्मेशन (ART) के अंतर्गत कोई भी रियल एस्टेट अनुदान प्राप्तकर्ता।
- प्रोजेक्ट्स जिनमें निर्माण शुरू हो चुका है। निर्माण, जिसमें ध्वस्त करना और रीमीडिएशन भी शामिल है, प्राधिकरण के निदेशक बोर्ड की स्वीकृति के बिना शुरू नहीं हो सकता।
- रियल एस्टेट होल्डिंग कंपनियाँ या अन्य विशेष उद्देश्य संस्थाएँ जिनके अस्तित्व का उद्देश्य केवल संपत्ति या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का स्वामित्व हो।
- कोई भी शहर, राज्य, या काउंटी संस्था और कोई भी राज्य कॉलेज या विश्वविद्यालय।

अतिरिक्त प्रोजेक्ट आवश्यकताएँ तथा प्रतिबंध:

- सभी प्रोजेक्ट लागतें (सॉफ्ट और हार्ड निर्माण लागत – कोई भी ऑपरेटिंग लागत नहीं) शामिल हो सकती हैं और इनमें प्रोजेक्ट से सम्बद्ध विकासपूर्व प्रोजेक्ट लागतें शामिल की जा सकती हैं।
- डेवलपर फी कुल प्रोजेक्ट लागत के 8% से अधिक नहीं हो सकती।
- कुल प्रोजेक्ट लागत की आकस्मिकताएँ हार्ड प्रोजेक्ट लागत के 10% और सॉफ्ट प्रोजेक्ट लागत के 5% से अधिक नहीं हो सकतीं। स्वीकृति के बाद आकस्मिकताओं के कारण अनुदान राशि में वृद्धि नहीं होगी।
- सभी प्रोजेक्ट्स को कैलेंडर वर्ष 2026 के अंत तक पूरा कर लेना चाहिए (यूएस ट्रेज़री के दिशानिर्देशों के अनुसार)। अनुदान लाभ संघीय लाभों के दोहराव की आवश्यकताओं के अधीन होगा।
- किसी भी प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिये जाने के पूर्व लागत औचित्य विश्लेषण पूरा किया जाएगा।
- फंडिंग, न्यू जर्सी के प्रचलित वेतन कानून और अन्य श्रम मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होगी। अन्य राज्य आवश्यकताएँ जो लागू हो सकती हैं प्रोजेक्ट के विवरण और फंडिंग राशियों पर निर्भर करेंगी, जिनमें शामिल है पर्यावरण आकलन के लिए आवश्यकताओं संबंधी 1989 का न्यू जर्सी एक्जीक्यूटिव आदेश 215।

प्रोजेक्ट पात्रता संबंधी विचार

एक संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में जिसका उद्देश्य COVID-19 के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है, आवेदकों को यह प्रदर्शित करना होगा कि प्रोजेक्ट से समुदाय को कैसे लाभ होगा।

सभी आवेदकों को आवेदन के समय निम्न आवश्यकताओं, जो भी लागू हों, को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी:

- **COVID प्रभाव:** यह प्रोजेक्ट COVID-19 महामारी के नकारात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य और/या आर्थिक प्रभावों के प्रति प्रतिक्रियाशील है और सभी एआरपी कार्यक्रम आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।
- **क्षमता:** आवेदक के पास कम से कम तीन इसी के समान स्कोप और आकार के प्रोजेक्ट्स (बजट आकार और स्कोप में समान) को लागू करने और दस्तावेज़ उपलब्ध कराये हैं। इस अनुभव की आवश्यकता के अपवाद केवल तभी उपलब्ध होंगे जब आवेदक आवेदन के समय अपने स्थानीय प्रभाव विचार के रूप में "लघु व्यवसाय प्रयासों" या "खाद्य असुरक्षा प्रयासों" का समर्थन करने का चयन करेगा, जिस स्थिति में अनुभव की आवश्यकता को टाल दिया जाता है।
- **दीर्घ-कालीन प्रभाव:** प्रोजेक्ट का समुदाय या पड़ोस जहां पर प्रोजेक्ट अवस्थित होगा वहाँ किस प्रकार सकारात्मक दीर्घ-कालीन प्रभाव पड़ेगा।
- **डीड प्रतिबंध:** अगर संपत्ति का स्वामित्व आवेदक के पीएस है तब उन्हें 5 वर्ष की डीड प्रतिबंध के लिए सहमत होना होगा ताकि प्रोजेक्ट का उपयोग उनके अंतिम आवंटन या प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक बदला न जा सके। यदि संपत्ति लीज़ पर ली हुई है, तब भूमि के स्वामी को एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए और डीड प्रतिबंध से सहमत होना चाहिए।
- **वित्तीय व्यवहार्यता:** निर्माण के बाद प्रोजेक्ट वित्तीय रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर होगी। आवेदक 5 साल के डीड प्रतिबंध के अनुसार आवश्यक समय अवधि तक काम करने में सक्षम होगा।
- **प्रोजेक्ट पूर्णता:** आवेदक यूएस ट्रेज़री विभाग की प्रोजेक्ट पूर्णता समय सीमा 12/31/2026 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत है। इस प्रोजेक्ट के यूएस ट्रेज़री समय सीमा के अंदर समय से पूरा हो पाने में विफल होने पर, आवेदक आगे मानता है कि उन्हें उनके द्वारा निकाली गई या प्राप्त की गई अनुदान राशि को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- **स्थानीय प्रभाव विचार:** प्रोजेक्ट निम्न में से कम से कम एक सामुदायिक पहल को संबोधित करता है:
 - लघु व्यवसाय सपोर्ट प्रयास – ऐसे व्यवसाय जो निम्न में संलग्न हैं फंडिंग के योग्य नहीं हैं: "वयस्क" (अर्थात, अश्लील, भद्दा, या अन्यथा इसी तरह की भर्त्सनीय) गतिविधियों, सेवाओं, उत्पादों या सामग्रियों (नग्न या अर्ध-नग्न प्रदर्शन या यौन सहायता या उपकरणों की बिक्री सहित) का आचरण या प्रसार; कोई नीलामी या दिवालियापन या आग या "हमारी लीज़ गई" या "व्यवसाय से बाहर जा रहे हैं" या इसी तरह की बिक्री; अस्थायी व्यापारियों द्वारा बिक्री, क्रिसमस ट्री की बिक्री या अन्य बाह्य भंडारण; गांजे से संबंधित व्यवसाय; कैसीनो; या उपद्रव उत्पन्न करने वाली कोई भी गतिविधि।
 - साफ और सुरक्षित प्रयास
 - खाद्य असुरक्षा प्रयास
 - शहरी जीवंतता प्रयास (सनसेट एवन्यू, फेयरमाउंट एवन्यू, बाल्टिक एवन्यू, से पूरे अटलांटिक सिटी में बोर्डवॉक में सभी प्रयास अवस्थित होने चाहिए)।
 - काम और ऑफिस स्पेस निर्माण

यूएस ट्रेज़री को रिपोर्ट करना: यदि प्राधिकरण द्वारा कहा जाये तब आवेदक को ऑपरेट करेगा और आवश्यकतानुसार 1 मिलियन डॉलर से अधिक के सभी प्रोजेक्ट खर्चों को रिपोर्ट करने के लिए यूएस ट्रेज़री विभाग को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराएगा। विशेषकर, सभी आवेदन एक कथन उपलब्ध कराएंगे कि वह प्रोजेक्ट किस प्रकार अटलांटिक सिटी में COVID-19 के प्रभावों को संबोधित करेगा, और यह कैपिटल खर्च COVID-19 के कारण हुई आर्थिक क्षति को संबोधित करने के लिए सबसे उचित है।

आवेदन प्रस्तुति और समीक्षा प्रक्रिया

कार्यक्रम जनता के लिए खुला होगा और आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कार्यक्रम रोलिंग अनुदान आवेदन आधार पर ऑपरेट करेगा, जबकि पूरे किए गए आवेदनों की प्रस्तुति के उपरांत अनुदान "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर अवार्ड किए जाएंगे। आवेदन जैसे जैसे प्राप्त होते जाएंगे प्राधिकरण उनकी समीक्षा करेगा। प्राधिकरण के एकल विवेकाधीन, स्टाफ आवेदन में शामिल जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसमें शामिल होंगे, परंतु उन्हीं तक सीमित नहीं, वर्णनात्मक प्रत्युत्तर, सहायक दस्तावेज़, तथा संलग्नक।

आवेदन खिड़की तब तक खुली रहेगी जब तक कि सभी फंड्स अवार्ड/समाप्त नहीं हो जाएँगे। कार्यक्रम जनता को आवेदन उपलब्ध कराने की तिथि से तीन वर्षों के लिए, या जब तक कुल फंडिंग पूल समाप्त नहीं हो जाता (जो भी पहले होगा) तक उपलब्ध होगा।

आवेदकों को अवश्य ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में रजिस्टर या लॉगइन करना चाहिए, आवेदन के सभी प्रश्नों को पूरा करना चाहिए, और निम्न सहित, सभी वांछित पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्नकों को अपलोड करना चाहिए:

1. साइट नियंत्रण का सबूत। आवेदक को (स्वयं या पूर्ण स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन इकाई के माध्यम से) एक डीड, निष्पादित खरीद और बिक्री समझौता, निष्पादित लीज़ (जिसका टर्म प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 वर्ष अधिक होना चाहिए) उपलब्ध करानी होगी, जिनमें से किसी भी/सभी पर दोनों विक्रेता और खरीदार द्वारा पूर्ण रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए;
2. प्रोजेक्ट विवरण और पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, संबंधित लागत, और प्रस्तावित भविष्य के उपयोग, संपत्ति/भवन की वर्तमान और भविष्य की स्थिति (अर्थात्, खाली या आंशिक रूप से खाली, परित्यक्त, कोड उल्लंघन, हाल के उपयोग, कोई भी स्थानीय, राज्य, या संघीय ऐतिहासिक पदनाम/पात्रता, ब्राउनफील्ड साइट, निर्दिष्ट पुनर्विकास क्षेत्र के भीतर लोकेशन, आदि); प्रोजेक्ट की लोकेशन के निकट क्षेत्र में वर्तमान या नियोजित विकास/पुनर्विकास प्रयास का वर्णन;
3. स्पष्ट करें कि प्रोजेक्ट किस स्थानीय प्रभाव विचार को संबोधित कर रहा है और इस समुदाय में प्रोजेक्ट की आवश्यकता का वर्णन करें, और किस प्रकार समग्र रूप से यह प्रोजेक्ट अटलांटिक सिटी को लाभ पहुंचाएगा, समुदाय पर संभावित आर्थिक और स्थानीय प्रभाव, कितने जॉब निर्मित होने की संभावना है, संभावित पदाचारी ट्राफिक और सार्वजनिक पहुँच में वृद्धि सहित संभावित स्थानीय प्रभाव;
4. स्पष्टीकरण कि किस प्रकार COVID-19 के अटलांटिक सिटी पर पड़े नकारात्मक प्रभाव को यह प्रोजेक्ट संबोधित कर रहा है;
5. वर्तमान ज़ोनिंग स्थिति, स्थानीय सपोर्ट, कार्यवाही के साथ संभावित जटिलताओं या चुनौतियों की पहचान सहित प्रस्तावित प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता / फीज़िबिलिटी का वर्णन करने वाला एक विवरण (और दस्तावेज़ जो लागू हो) उपलब्ध कराएं, और प्रारंभिक प्रोजेक्ट बजट और फंडिंग योजना उपलब्ध कराएं, जिसमें प्राधिकरण स्रोत और टेम्पलेट शामिल होने चाहिए;
6. प्रोजेक्ट विकास की टाइम लाइन/ लागू करने का शिड्यूल जिसमें प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने और भविष्य के पूरक उपयोग के लिए तैयारी का संकेत दिया गया हो। यह भी अवश्य प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट को 12/31/26 से पहले पूरा कर लिया जाएगा;
7. आवेदक के गठन और संगठनात्मक दस्तावेज़ और/या आवेदक के अधिकृत किए जाने के दस्तावेज़;
8. पिछले प्रोजेक्ट अनुभव (यदि लागू हों) का विवरण और दस्तावेज़ और प्रस्तावित प्रोजेक्ट को शुरू करने और पूरा करने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए तीन समान प्रोजेक्ट्स (स्कोप और बजट आकार में) का विवरण प्रदान करके; तथा
9. NJ प्रमाणित और रजिस्टर्ड सार्वजनिक कार्य ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया विस्तृत प्रोजेक्ट बजट, जिसमें शामिल होगी विकास पूर्व से ले कर निर्माण पूर्ण होने और ऑक्यूपेन्सी प्रमाणपत्र तक की सभी प्रोजेक्ट लागत। सभी कार्यों के, इक्विपमेंट संस्थापन, समझौतों में प्रचलित मज़दूरी दरें शामिल होनी चाहिए।

यह दिखाने के लिए कि अनुदान फंड किस प्रकार व्यय किए जाएँगे आवेदकों को अवश्य ही सम्बद्ध प्रोजेक्ट चरणों, प्रोजेक्ट बजट, सामुदायिक प्रभाव, और शुरू से अंत तक की प्रोजेक्ट टाइम लाइन का यथासंभव विवरण उपलब्ध कराना चाहिए।

जो आवेदक आवेदन के समय यह प्रमाण प्रदर्शित करेंगे कि निर्माण फंडिंग की शेष राशि सुरक्षित है, उन्हें अन्य उन पूर्ण आवेदनों से पहले मंजूरी दे दी जाएगी जो अभी भी समीक्षा के लिए लंबित हैं। यदि आवेदक यह प्रदर्शित करने के लिए दस्तावेज़ नहीं उपलब्ध कराते हैं कि उन्होंने शेष फंडिंग पूरी तरह सुरक्षित कर ली है, तब आवेदक स्वीकृति की ओर बढ़ सकते हैं, परंतु तब तक अपने अनुदान समझौते को निष्पादित नहीं कर पाएंगे जब तक वे यह दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करा देते। सुरक्षित का अर्थ है कि आवेदक ने फंड्स की उपलब्धता सत्यापित करने के लिए निष्पादित अनुदान समझौता, पूरे किए गए ऋण दस्तावेज़ या समझौते, या बैंक / वित्तीय संस्थान स्टेटमेंट उपलब्ध कराये हैं। अवार्ड के पास यह दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति के बाद केवल 6 महीने का समय होगा अन्यथा उनका अनुदान अवार्ड जब्त कर लिया जाएगा।

सभी पात्र आवेदन स्वीकृति के लिए बोर्ड तक जाएंगे, और सभी आवेदन जिन्हें विवेकाधीन कारणों से रद्द किया जाएगा वे भी बोर्ड तक जाएंगे।

अनुदान अवार्ड और समझौता

न्यूनतम अनुदान अवार्ड 1 मिलियन डॉलर का होगा आ अधिकतम 10 मिलियन डॉलर तक का होगा। प्रति ईआईएन तथा प्रति योग्य लोकेशन एक अवार्ड होगा। अनुदान कुल प्रोजेक्ट लागत (हार्ड और सॉफ्ट निर्माण लागत) के 50% तक का होगा।

अनुदान समझौता यह सुनिश्चित करेगा कि फंडिंग न्यू जर्सी के प्रचलित वेतन कानून और अन्य श्रम मानकों की आवश्यकताओं के साथ-साथ अन्य राज्य आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होगी जो प्रोजेक्ट विवरण और फंडिंग राशि के आधार पर लागू हो सकती हैं, जिसमें संभवतः पर्यावरण आकलनों की आकता संबंधी 1989 का न्यू जर्सी का एक्जीक्यूटिव आदेश 215 भी शामिल है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदान का उपयोग ठीक से किया जाए और समुदाय को लाभ मिले, अनुदान समझौते में यह प्रावधान भी शामिल होगा कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भी कम से कम 5 वर्षों तक प्रोजेक्ट के अंतिम उपयोग को बनाए रखा जाए। यदि आवेदक संपत्ति का स्वामी होगा, तो प्राधिकरण की आवश्यक प्रतिबंधक भाषा का उपयोग करके संपत्ति पर 5 साल का डीड प्रतिबंध दायर करना आवश्यक होगा। प्रोजेक्ट के समापन के 5 वर्षों के बाद प्राधिकरण द्वारा डीड प्रतिबंध रिलीज़ किया जाएगा। यदि आवेदक प्रोजेक्ट का स्वामी नहीं है, तब उनकी लीज़ में अवश्य ही प्रोजेक्ट पूरा होने 5 वर्ष के बाद (किसी भी पुनर्नवीनीकरण विकल्प के साथ) भी साइट नियंत्रण प्रदर्शित होना चाहिए। अवार्ड को प्रोजेक्ट बंद होने के बाद 5 साल तक पूरे प्रोजेक्ट या उसके हिस्से को बेचने, या उनकी डीड को समाप्त करने या कम करने से भी निषेधित किया जाता है, अन्यथा प्राधिकरण को आवंटित किए गए सभी अनुदान के पुनर्भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। यदि प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया, अवार्ड को उन्हें आवंटित सम्पूर्ण फंड का पुनर्भुगतान करना होगा।

अनुदान फंडिंग आवंटन

प्राधिकरण आवेदक को अनुदान का आवंटन केवल अनुदान समझौते के निष्पादन के उपरांत ही करेगा। अनुदान फंडिंग का आवंटन आवेदक के अनुरोधित ड्रॉडाउन पर आधारित होगा, जिसकी गणना उपयोग के दस्तावेज़ (जैसे कि एआईए दस्तावेज़, निर्माण के दौरान सेवाओं के लिए अनुबंध भुगतान, और प्रोजेक्ट से सम्बद्ध भुगतान की गई इन्वाइसेज़) के साथ अपेक्षित अनुबंध लागत के आधार पर की जाती है।

प्राधिकरण प्रगतिशील प्रोजेक्ट लागतों को सपोर्ट करने के लिए अनुदान फंडिंग पर प्रगतिशील कटौती की अनुमति देगा (सभी अनुरोधों पर न्यूनतम 150,000 डॉलर बशर्ते कि यह अंतिम अनुरोध न हो) और ऐसे अनुरोधों को वास्तविक लागतों के आधार पर प्रो-रेटा प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है।

स्टाफ साइट का रैंडम दौरा करेंगे और प्रोजेक्ट समापन पूरा होने तक कुल पुरस्कार के 10% का अंतिम आवंटन रोक कर रखेंगे। स्टाफ ड्राइंग के लिए आवश्यकतानुसार किसी अन्य सहायता या दस्तावेज़ का भी अनुरोध कर सकते हैं।

आवेदक को दिए गए अनुदान के 10% के अंतिम आवंटन से पहले एक प्रोजेक्ट क्लोज आउट अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट को बंद करने के अनुरोध में प्रोजेक्ट के पूरा होने के सबूत के लिए सभी आवश्यक जानकारी और, जब लागू हो, ऑक्यूपेन्सी का एक अस्थायी प्रमाणपत्र शामिल होना चाहिए, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एक बार प्राप्त होने के बाद, स्टाफ पूर्ण प्रोजेक्ट की पुष्टि करने और दस्तावेज़ीकरण करने के लिए साइट का दौरा करेंगे (तस्वीरों के माध्यम सहित)।

शुल्क

आवेदन जमा करने के समय 1,000 डॉलर का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क आवश्यक है और इसका भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी

अटलांटिक सिटी रीवाइटलाइज़ेशन अनुदान कार्यक्रम के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी [Atlantic City Revitalization Grant Program - NJEDA](#) में उपलब्ध है।

इस प्रोग्राम के फंडिंग उपलब्धता के नोटिस से सम्बद्ध प्रश्न ACrevitalization@njeda.gov को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

NJEDA राज्य और संघीय कानूनों के अधीन है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो सहयोगियों को प्रभावित कर सकते हैं: एनजेएसए 52:32-60.1, आदि, जो न्यू जर्सी सरकार की संस्थाओं को बेलारूस या रूस में निषिद्ध गतिविधियों में लगे व्यवसायों के साथ कुछ सौदों से रोकता है; एनजेएसए 24:61-49 जो प्रावधान करता है कि निम्नलिखित अधिकांश राज्य या स्थानीय आर्थिक प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं हैं (a) कोई व्यक्ति या संस्था जिसे गांजे की खेती करने वाले, निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा विक्रेता या वितरण सेवा के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है, या जो गाँजा प्रतिष्ठान, वितरक या वितरण सेवा के लिए या उसकी ओर से काम करने के लिए प्रमाणित व्यक्तिगत उपयोग वाले गाँजा हैंडलर को नियोजित करता है; और (b) पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी गांजे की खेती करने वाले, निर्माता, थोक व्यापारी, वितरक, खुदरा विक्रेता, या वितरण सेवा को लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग की जानी वाली किसी संपत्ति का स्वामी, डेवलपर, या किसी प्रोजेक्ट का संचालक, या प्रमाणित व्यक्तिगत उपयोग वाले गाँजा हैंडलर को किसी गाँजा प्रतिष्ठान, वितरक, या डिलीवरी सेवा के लिए या उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियोजित करने वाला।; और एनजेएसए 52:13D-12, आदि जो विधायिका के किसी सदस्य या किसी राज्य अधिकारी या कर्मचारी या उनके साझेदारों या किसी निगम को, जिसमें वे 1% से अधिक स्टॉक के मालिक हैं या नियंत्रित करते हैं, कुछ सीमित अपवादों के साथ, किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा बनाये गए, दर्ज किए गए, अवार्ड किए गए, प्रदान किए गए 25.00 डॉलर या अधिक के किसी भी अनुबंध, समझौते, बिक्री या खरीद को शुरू करने या निष्पादित करने से रोकता है।